दिनांक: **27** अक्टूबर, **2017**

क्षेत्रीय दलों की आय और व्यय का विश्लेषण: वित्तीय वर्ष **2015-16**

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट क्षेत्रीय दलों द्वारा चुनाव आयोग को जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट (वि व् 2015-16) का विश्लेषण है जिसमें **32** दलों ने अपने आय और व्यय का ब्यौरा दिया है |

सारांश

- सभी राजनीतिक दलों के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि **31st** अक्टूबर है | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सबसे पहले **11th** जून, **2016** और आम आदमी पार्टी ने सबके बाद **13** जुलाई, **2017** को रिपोर्ट जमा की |
- इस वर्ष, **47** क्षेत्रीय दलों में से केवल एक-तिहाई दलों ने ही अपना ऑडिट रिपोर्ट समय-सीमा के अंतर्गत चुनाव आयोग को जमा किया |
- **16** क्षेत्रीय दलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट समय सीमा की अंतिम तिथि से, **22** दिनों से लेकर **8** महीनों के विलंब से जमा की|
- **15** क्षेत्रीय दल ने अभी तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है | इनमें से कुछ प्रमुख दल भी हैं : SP, JKNC, RJD, INLD, AINRC, AIUDF, AJSU और MGP|

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कुल आय एवं व्यय - वित्तीय वर्ष **2015-16**

- वि व् 2015-16 में, 32 क्षेत्रीय दलों ने अपनी कुल आय रु **221.48** करोड़ घोषित की है | इसी दौरान उन्होंने अपना कुल खर्च रु **111.48** करोड़ दर्शाया है | इस आय का **49.67%** (रु **110** करोड़) धन दलों द्वारा खर्च नहीं किया गया है |
- **14** क्षेत्रीय दलों ने अपना खर्च अपनी कुल आय से अधिक घोषित किया है | इनमें से **3** दलों (JVM-P, JDU और RLD) ने अपना खर्च आय से **200%** अधिक बताया है |
- DMK, AIADMK और AIMIM तीनों पार्टी ने अपना **80%** से अधिक की आय खर्च नहीं किया है |

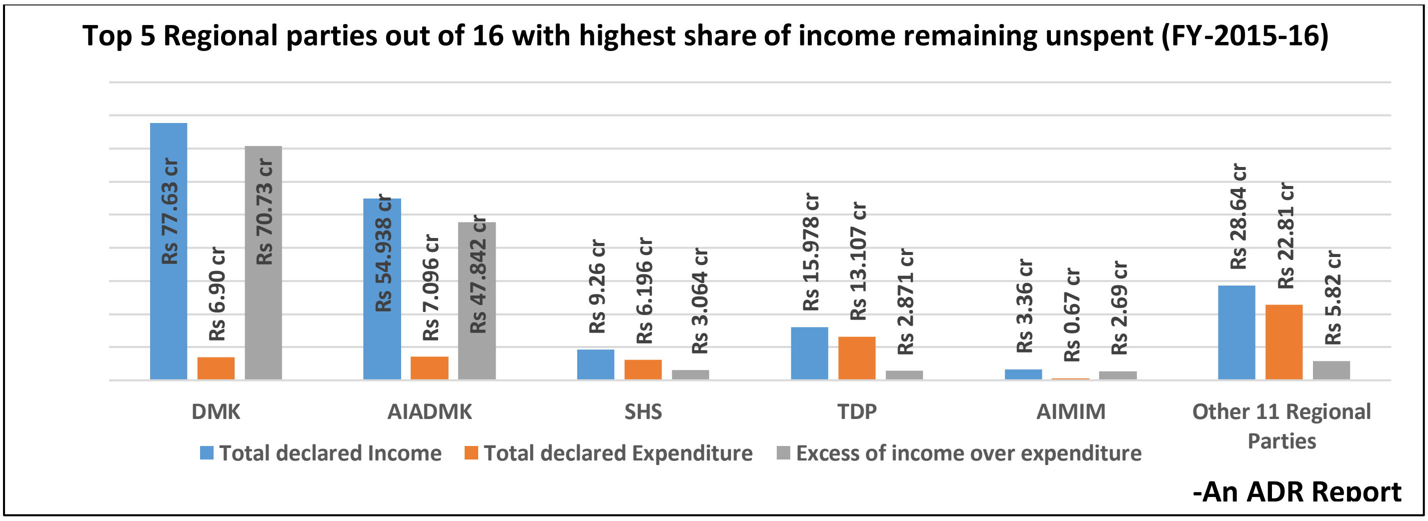

क्षेत्रीय दलों की कुल आय : वित्तीय वर्ष **2015-16**

- सभी क्षेत्रीय दलों में से सबसे अधिक आय **DMK** ने रु **77.63** करोड़ उसके बाद **AIADMK** ने रु **54.938** करोड़ और **TDP** ने रु **15.978** करोड़ घोषित किया है |
- शीर्ष **3** दलों की सम्मिलित आय, 32 क्षेत्रीय पार्टियों की कुल आय का **67%** से अधिक है |

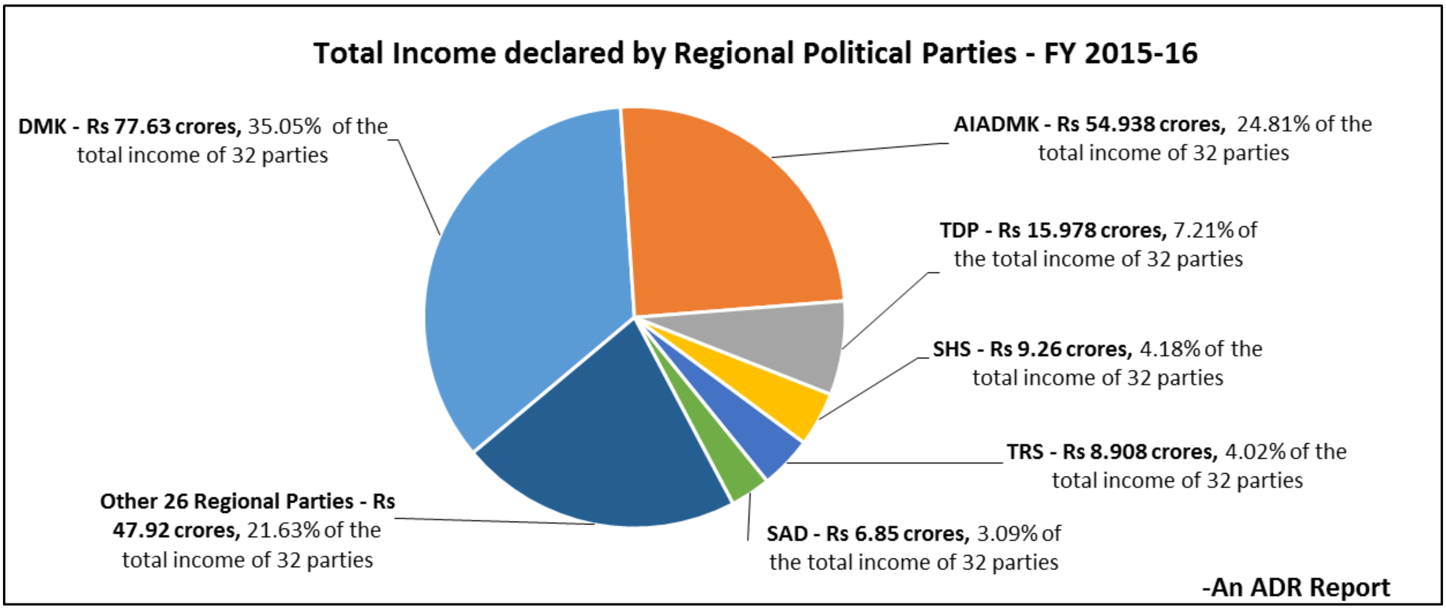

अज्ञात स्त्रोतों से क्षेत्रीय दलों की आय : वित्तीय वर्ष **2015-16**

- राजनीतिक दलों का अज्ञात स्त्रोतों की गणना के लिए ऑडिट और दान रिपोर्ट का होना जरुरी है **|** ये दोनो विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल **18** दलों का ही उपलब्ध है **|**

- **18** क्षेत्रीय दलों की कुल आय (ज्ञात और अज्ञात स्त्रोतों से उपलब्ध) वि व् 2015-16 में रु **206.21** करोड़ है |
- इसी दौरान ज्ञात दाताओं से क्षेत्रीय दलों की आय रु **90.74** करोड़ है, जो उनकी कुल आय का **44%** है | इसका पूर्ण विवरण चुनाव आयोग को जमा की गई (रु 20,000 से अधिक) दान रिपोर्ट में उपलब्ध है |
- दूसरे ज्ञात स्त्रोतों (उदाहरण के लिए,सम्पति की बिक्री, सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज, प्रकाशन की बिक्री, पार्टी लेवी आदि) से क्षेत्रीय दलों की प्राप्त आय रु **74.86** करोड़ है, जो उनकी कुल आय का **36%** है |
- वि व् 2015-16 में अज्ञात स्त्रोतों से क्षेत्रीय दलों द्वारा अर्जित की गई आय रु **40.61** करोड़ है, जो उनकी कुल आय का **20%** है | इसी वि व् में राष्ट्रीय दलों का आय अज्ञात स्त्रोतों से रु 708.48 करोड़ जो कुल आय का **68.57%** था |

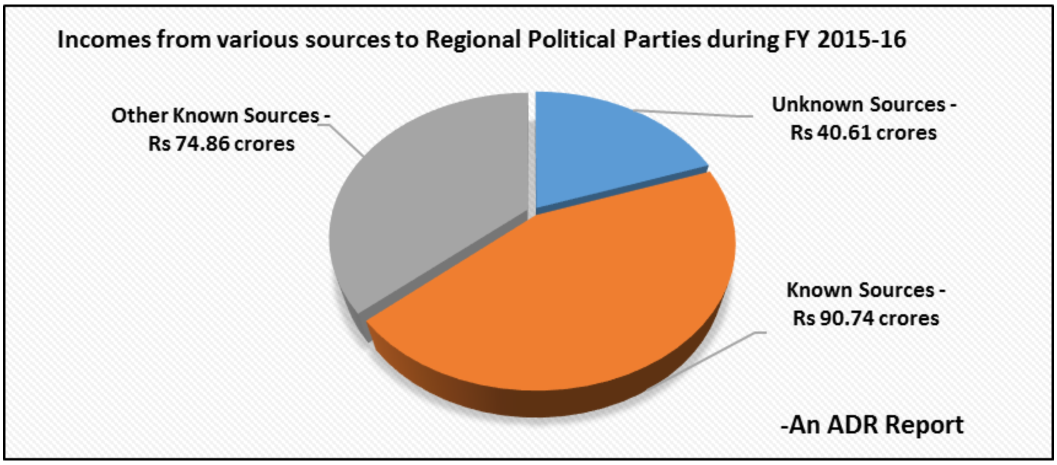

ऑडिट रिपोर्ट में दलों द्वारा घोषित अज्ञात स्त्रोतों का विवरण

- **17** क्षेत्रीय दलों ने वि व् 2015-16 के दौरान अज्ञात स्त्रोतों में सबसे अधिक आय "स्वैच्छिक योगदान" से रु **28.945** करोड़ दर्शाई है, जो कुल अज्ञात आय का **71.28%** है |
- अज्ञात स्त्रोतों में, दूसरे क्रमांक पर "सकल प्राप्तियां" हैं जिसके अंतर्गत **SAD** ने रु **6.59** करोड़ एकत्रित किये हैं | यह कुल अज्ञात आय का **16.23%** है |
- **6** क्षेत्रीय दलों की आय का एक से अधिक अज्ञात स्त्रोत हैं, जबकि **11** दलों की आय का केवल एक ही स्त्रोत अज्ञात है |
- अज्ञात स्त्रोतों से उच्चतम आय घोषित करने वाले दल : **TRS** (रु **7.245** करोड़), **TDP** (रु **6.88** करोड़) और **SAD** (रु **6.59** करोड़) **|**

- तीन क्षेत्रीय दलों ने 81% से अधिक का आय अज्ञात स्त्रोतों से घोषित किया है | **TRS** का 81%, **MNS** का **94%** और **SAD** का 96% आय अज्ञात स्त्रोतों से है |

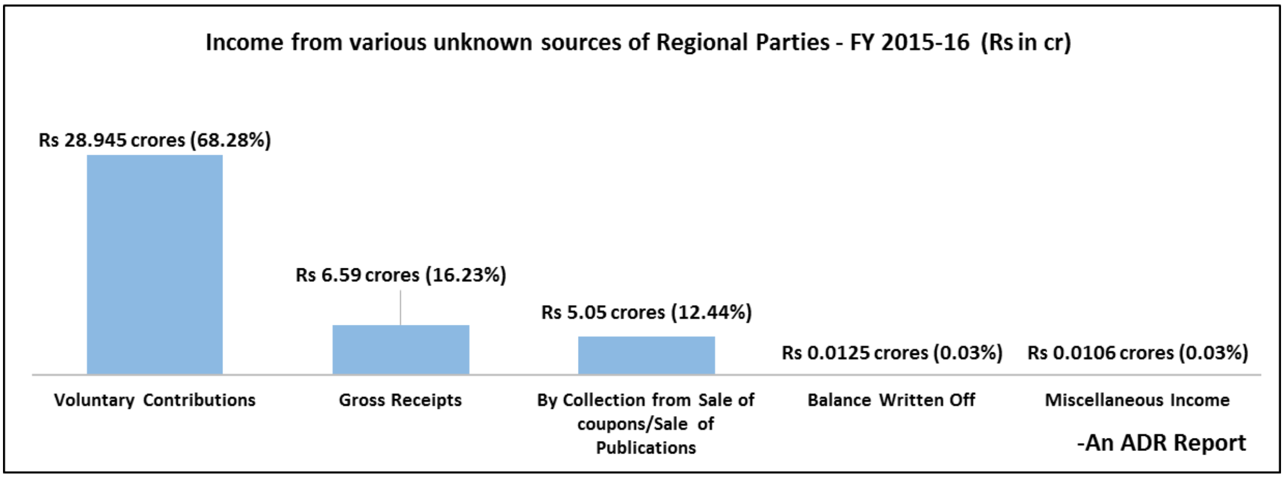

एडीआर के सुझाव

- सुप्रीम कोर्ट ने **13,** सितम्बर**,** 2013 को यह घोषित किया कि उम्मीदवारों के शपथपत्र का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए इसी तरह के तर्ज पर फॉर्म 24 ए, (जोकि राजनीतिक दलों द्वारा रु 20,000 से ज्यादा दान देने वाले लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है) का भी कोई हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए |
- राजनीतिक दलों कि आय का अधिकतम प्रतिशत (75 प्रतिशत) अज्ञात स्त्रोतों से आता है इसलिए दानदाताओं कि पूरी जानकारी, सार्वजानिक जाँच के लिए आम जनता को उपलब्ध होनी चाहिए | भूटान, नेपाल, जर्मनी, फ़्रांस, इटली, ब्राजील, बल्गेरिया, अमेरिका तथा जापान जैसे देशों में ऐसा किया जाता है | इन देशों में से किसी भी देश में राजनीतिक दलों के आय स्त्रोत का **75%** अज्ञात रहना असम्भव होगा |
- आईसीएआई का यह दिशा निर्देश कि राजनीतिक दलों के ऑडिट रिपोर्ट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा छानबीन कि जानी चाहिए किन्तु इसका पालन नहीं होता है | राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निरंतर तौर पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए | ऐसा करने से ही राजनीतिक दल, चुनाव प्रक्रिया एवं लोकतंत्र सशक्त होगा |

राजनीतिक दलों कि वित्तीय सूचनाओं को उपलब्ध करने के लिए एक सख्त व्यवस्था की जरुरत
राजनीतिक दलों में वित्तीय पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए तथा इसकी रिपोर्टिंग के लिए एक सख्त व्यवस्था कि जरुरत है | इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) संस्था ने चुनाव आयोग के अनुरोध पर सुझावों की एक सूची बनाई है | एडीआर का यह मानना है कि जल्द से जल्द इन सुझावों के पालन की सख्त जरुरत है |

<u>अस्वीकरण</u>

रिपोर्ट में इस्तेमाल सभी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजनीतिक दलों के पेज से लिया गया है
http://eci.nic.in/eci_main1/PolPar/annualauditreport2016.aspx

रिपोर्ट बनाते समय सुचना का पूर्ण ध्यान रखा गया है | यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए ऑडिट रिपोर्ट का विवरण ही ठीक माना जायेगा | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म, नेशनल इलेक्शन वाच और उनके स्वंयसेवक जिम्मेदार नही होंगे |

सम्पर्क

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org	Maj. Gen Anil Verma (Retd.) Head ADR & NEW +91 11 4165 4200 +91 88264 79910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd.) Founder Member ADR & NEW +91 99996 20944 jchhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder Member, ADR & NEW +91 94483 53285 trilochans@iimb.ernet.in